संख्या–वे0आ0–2– 400/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) कारागार विभाग के बंदी रक्षक के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 3050–4590 के स्थान पर रू0 3200–4900 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1, ग्रेड वेतन रू0 2000/– तथा प्रधान बंदी रक्षक के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 3200–4900 के स्थान पर रू0 4000–6000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1, ग्रेड वेतन रू0 2400/– दिनांक 01–01–2006 से काल्पनिक रूप से अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01–12–2008 से अनुमन्य किया जाय।

(2) कारागार अधीक्षक संवर्ग को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाय :––

क0 सं0	वर्तमान पदनाम	पदों की संख्या	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	प्रस्तावित पदनाम	पदों की संख्या	प्रस्तावित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	अधीक्षक कारागार	64	वेतन बैण्ड–3/5400	अधीक्षक कारागार	64	वेतन बैण्ड–3/5400
2	वरिष्ठ अधीक्षक कारागार	21	वेतन बैण्ड–3/6600	वरिष्ठ अधीक्षक कारागार ग्रेड–1	13	वेतन बैण्ड–3/6600
3				वरिष्ठ अधीक्षक कारागार	08	वेतन बैण्ड–3/7600

				ग्रेड–2		
4	उप महानिरीक्षक कारागार	07	वेतन बैण्ड–3 / 7600	उप महानिरीक्षक कारागार	07	वेतन बैण्ड–4 / 8700
5	अपर महानिदेशक कारागार	02	वेतन बैण्ड–4 / 8700	अपर महानिदेशक कारागार	02	वेतन बैण्ड–4 / 8900

(3) उप कारापाल के पद पर वर्तमान वेतन बैण्ड–2, ग्रेड वेतन रू0 4200 / – के स्थान पर वेतन बैण्ड–2, ग्रेड वेतन रू0 4600 / – तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(4) कारापाल के पद पर वर्तमान वेतन बैण्ड–2, ग्रेड वेतन रू0 4200 / – के स्थान पर वेतन बैण्ड–2, ग्रेड वेतन रू0 4800 / – तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(5) कारागारों के लिये मुख्य प्रधान बंदी रक्षक के 12 पद वेतनमान रू0 4000–6000 में स्वीकृत हैं। विभागीय ढॉचें को उपयोगी बनाने के दृष्टिगत मुख्य प्रधान बंदी रक्षक के 12 पदों को उप कारापाल के पदों के साथ संविलीन कर दिया जाय।

(6) उप कारापाल के पदों पर 75 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 25 प्रतिशत प्रधान बंदी रक्षक और मुख्य प्रधान बंदी रक्षक से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर 60 प्रतिशत सीधी भर्ती और 40 प्रतिशत पद प्रधान बंदी रक्षक से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(7) कारागार विभाग में निम्न तालिका–1 में उल्लिखित कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों पर निम्न तालिका–2 के अनुसार पदनाम, वेतनमान एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित की जाय :—

तालिका–1

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0)	शैक्षिक अर्हता	कार्य एवं दायित्व
1	2	3	4	5
1	आटा चक्की मिस्त्री	5200–20200 / 1900	इण्टरमीडिएट (विज्ञान), इलैक्ट्रनिक ट्रेड में आई0टी0आई0 से 02 वर्षीय डिप्लोमा	अपने कार्यो के साथ–साथ बंदियों को प्रशिक्षण देना।
2	टेण्ट फोरमैन	5200–20200 / 1900	हाईस्कूल के साथ आई0टी0आई0 अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित ट्रेड में एक वर्षीय प्रमाण–पत्र	तदैव
3	बढ़ई प्रशिक्षक	5200–20200 / 1900		तदैव
4	प्लम्बरिंग प्रशिक्षक	5200–20200 / 1900		तदैव
5	कालीन बुनाई प्रशिक्षक	5200–20200 / 1900		तदैव

तालिका–2

क0 सं0	प्रस्तावित पदनाम	प्रस्तावित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	प्रस्तावित शैक्षिक अर्हता	कार्य एवं दायित्व
1	2	3	4	5
1	विद्युत मोटर बाईडिंग प्रशिक्षक	5200–20200/2800	उक्त पद को वायरमैन प्रशिक्षक करते हुए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (विज्ञान) इलैक्ट्रनिक ट्रेड में आई0टी0आई0 से 02 वर्षीय डिप्लोमा।	अपने कार्यो के साथ–साथ बंदियों को वायरमैन का प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।
2	प्रशिक्षक–टेण्ट निर्माण	5200–20200/2800	हाईस्कूल के साथ आई0टी0आई0 अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित ट्रेड में एक वर्षीय प्रमाण–पत्र	टेण्ट निर्माण सम्बन्धी कार्यो का प्रशिक्षण।
3	प्रशिक्षक–कार्पेन्टर	5200–20200/2800		फर्नीचर मरम्मत से सम्बन्धी प्रशिक्षण।
4	प्लम्बर–प्रशिक्षक	5200–20200/2800		प्लम्बरिंग कार्य का प्रशिक्षण।
5	प्रशिक्षक दरी/कालीन डिजाइनर	5200–20200/2800		दरी/कालीन बुनाई व डिजाइनिंग का प्रशिक्षण

(8) सामान्य संवर्ग के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, आशुलिपिक, लिपिक श्रेणी सहित अन्य विभिन्न श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा संस्तुतियां की जा चुकी है। कारागार विभाग के सामान्य श्रेणी के पद भी उन्ही संस्तुतियों से आच्छादित होंगे।

(9) समिति द्वारा ए0सी0पी0/समयमान वेतनमान, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, परिवार कल्याण प्रोत्साहन जैसे विषयों पर संस्तुतियां दी जा चुकी हैं। अन्य कतिपय भत्तों एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में संस्तुतियां अलग से विचार कर दी जायेगी।

(10) कारागार विभाग के अन्य किसी पद/संवर्ग की वेतनमान विसंगति का मामला समिति के संज्ञान में नहीं लाया गया।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–४०१ (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।